

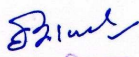
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में कमेडी- भन्तोला -स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगौव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कमेडी-भन्तोला मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगौव-चौनाला मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा0सं0 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी बजर का0आ0 में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


अनिल


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सी0 नि0 वि0
कपकोट


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड सी0 नि0 वि0
कपकोट


(कनिष्ठ अभियन्ता)


राजस्व निरीक्षक
विभाग प्रतिनिधि
जिला-बागेश्वर


तहसीलदार काण्डा
जनपद-बागेश्वर


जिलाधिकारी
बागेश्वर


उप प्रशासक वनाधिकारी
बागेश्वर


ह0 प्रशासक वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग,